राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 14(46)गृह–1/2022 जयपुर, दिनांक 02.07.2022

आदेश

श्री राजेश भारद्वाज, आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (एसएसबी) जोन उदयपुर को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

श्री भारद्वाज का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

02/7/22

(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उक्त आदेश की पुष्टि किये जाने हेतु प्रेषित है।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि श्री राजेश भारद्वाज आरपीएस, को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त उन्हे यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोड़े। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर, उस सीमा तक यदि अर्द्व वेतन अवकाश पर रहते, के बराबर उन्हे निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
5. श्री राजेश भारद्वाज, आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (एसएसबी) जोन उदयपुर, द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें । उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़े।
6. कोषाधिकारी, जयपुर।
7. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

02/7/22

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Scanned with CamSca